06

# गंगा कायाकल्प की ओर

त्रिवेणी संगम, प्रयागराज

वाराणसी में गंगा घाट

घाट पर मछलियों को खाना खिलाता आदमी

# गंगा नदी का कायाकल्प

*उपरोक्त छवि - उत्तराखंड में नेहरू युवा केंद्र द्वारा वृक्षारोपण करते हुये की गयी गतिविधिया*

गंगा नदी बेसिन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली नदी बेसिन है, जो भारत की लगभग आधी आबादी की मदद करती है। उच्च परदूषक भार, औदयोगिक और नगरपालिका उपयोगों के लिए उच्च स्तर पर पानी की निकासी, और जल सं साधन अवसं रचना के कारण व्यवस्था और नदी परिवतरन के परिणामस्वरूप, सं पूणर नदी परणाली का पारिस्थतिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। शहरीकरण और आधुनिकीकरण के साथ-साथ जनसं ख्या वृदिध के दबाव वाले कारकों ने जल निकाय को अपशिष्ट निस्तारण स्थल में बदल दिया।[1] भारत सरकार ने गंगा नदी के नवीकरण करने के उददेश्य को स्वीकार कर लिया है और निस्सं देह नदी से सं बं धित मुददों को हल करने के लिए योजनाओं के निष्पादन में महत्वपूणर सुधार किया है। इसके कारकों का एक महत्वपूणर विश्लेषण और इसकी योजनाओं पर स्पष्ट परतिबिंब दृष्टिकोण की कमियों पर परकाश डालता है। जल अधिनियम, 1974 के अधिनियमन के बाद से भारत में जल सं साधनों के सं रक्षण के लिए आवश्यक पयारवरण कानून बनाया गया है।[2] हालांकि, चुनौतियों के कारण नदी बहाली कायर्करम को लागू करने में कालानुकरमिक कमी थी।

*"पानी परकृति का भं डार है जिसमें वह सभी परकृति के चमत्कारों को बं द करके रखती है।"*

*–इसाक वाल्टोंटा*

**एन.जी.आर.बी.ए. : राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण**

**जी.ए.पी. : गंगा कार्य योजना**

**एन.आर.सी.पी. : राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**

**सी.जी.ए.: स्वच्छ गंगा अधिनियम**

**एन.आर.सी.डी. : राष्ट्रीय नदी संरक्षण**

**एम.ओ.डब्ल्यू.आर. : जल संसाधन मंत्रालय**

**आर.डी. : नदी का विकास**

**जी.आर. : गंगा जीर्णोद्धार**

**एन.जी.आर.बी.पी. : राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन योजना**

**एन.एम.सी.जी. : स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन**

अधिक जानने के लिए

**स्कैन कोड**

*ऊपर की छवि - नदी बहाली कार्यक्रमों के सामने आने वाली चुनौतियां*

चूंकि गंगा शहरीकृत घाटियों में कम दबाव वाले जल संसाधनों का एक आदर्श उदाहरण है। इस प्रकार नदी बहाली कार्यक्रमों में सफलताओं और खामियों का पता लगाने के लिए गंगा नदी की बहाली की नीतियों के विकास से सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है। (3)

गंगा नदी बहाली कार्यक्रमों में सामने आने वाली बाधाओं के बावजूद, भारत सरकार ने पिछले तीन दशकों में गंगा नदी को फिर से जीवंत करने के अपने दृष्टिकोण में आश्चर्यजनक बदलाव किया है। यह सब 1985 में शुरू हुआ, जब पर्यावरण वकील एम.सी. मेहता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर गंगा के प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि के लिए सरकार और उद्योगों को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने तब गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक बना दिया, जिसके लिए पर्यावरण विभाग ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण (CGA) बनाया, जिसके तहत गंगा कार्य योजना (GAP) को विकसित किया गया।

## गंगा काय योजना (जी.ए.पी.)

1985 में गंगा कार्य योजना की शुरूआत के समय इसका उद्देश्य प्रदूषकों को नदी तक पहुँचने से रोककर गंगा के जल की गुणवत्ता को स्वीकार्य स्तर तक लाना था। इन संस्थानों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों सहित सभी स्तरों पर स्थापित किया गया था, ताकि GAP के कुशल निष्पादन को सुनिश्चित किया जा सके।(4) पहले GAP चरण को, 1993 में दूसरे चरण में विस्तारित कर दिया गया था, जिसके विस्तार में गंगा की इन सहायक नदियों के साथ यमुना, दामोदर और गोमती नदी और बड़े शहर शामिल थे। हालांकि, विसंगतियां अभी भी पाई गई थीं क्योकि जी.ए.पी. का लक्ष्य अभी भी सम्पूर्ण नहीं हुआ था।

जैसा कि महत्वपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट है, GAP की त्रुटि ने इसकी सुदृढ़ता को कम कर दिया है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि जी.ए.पी. व्यावहारिक रूप से नदी बेसिन प्रबंधन के आदर्श को प्राप्त नहीं कर सका। इस पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने भारत की सभी प्रमुख नदियों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया था।

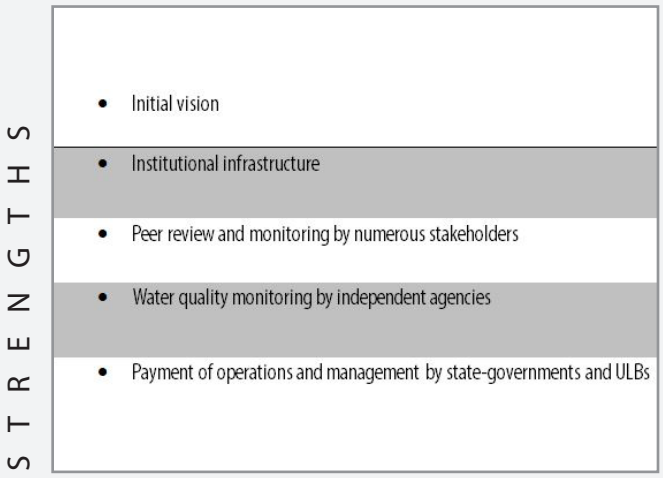


***ऊपर की छवि - GAP का स्ट्रेंथ्स_क्रिटिकल एनालिसिस***

WEAKNESS

- Limited scope of issues addressed
- Inadequacy of standards for assessing water quality
- Inappropriate choices of treatment technologies
- Partial coverage in collection, coverage and treatment of sewage across cities
- Overdesigned Sewage treatment plants
- Unclear, unviable finance models
- Irregular maintenance
- Negligence of monitoring other aspects other than River quality
- Failure in establishing Citizen's Monitoring Committees
- Inordinate delays in implementation
- Inadequate operation and maintenance of the assets

*ऊपर की छवि - GAP की कमजोरी_गंभीर विश्लेषण*

*ऊपर की छवि - घाट की सफाई के प्रयास*

## राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना(एन.आर.सी.पी.)

GAP चरण- II को 1996 में NRCP में मिला दिया गया था, जिसे शुरू में 1995 में लॉन्च किया गया था। इसमें विभिन्न निदयों केपरदूषित हिस्सों पर काम करने केलिए 20 राज्यों को शामिल किया गया था। इस कायर्क्रम ने 172 शहरों को व्यापक कवरेज दिया। नवंबर 1998 में जी.ए.पी. चरण-1 की तजर पर एन.आर.सी.पी. को 100% केंदरीय वित्त पोषित योजना में परिवर्तित किया गया था।[5]

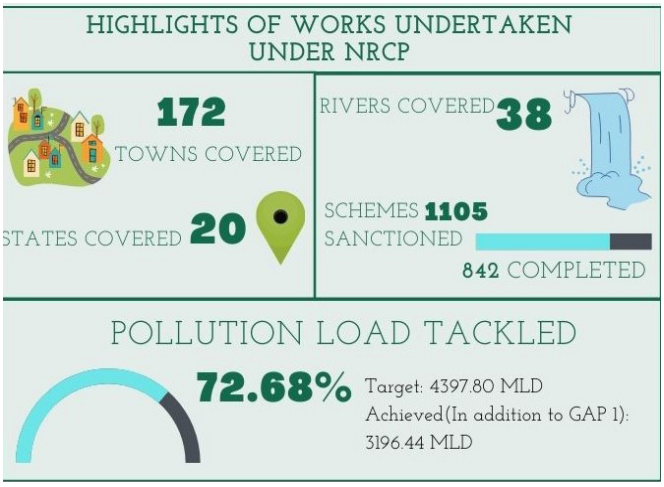


*उपरोक्त छवि - एन.आर.सी.पी. की मुख्य विशेषताएं*

कायारन्वयन और रचना में सुधार केबावजूद, एनआरसीपी में निम्नलिखित बिदुओं का अभाव था।

1. उपलब्ध संसाधन बहुत कम थे
2. आवंटित निधि अपर्याप्त थी
3. व्यापक सीवरेज प्रणाली का अभाव
4. झीलों के संरक्षण हेतु समग्र दृष्टिकोण का अभाव
5. जनभागीदारी का अभाव
6. स्वतंत्र संस्थानों से चूक गए परियोजना मूल्यांकन
7. तीसरे पक्ष के निरीक्षण का अभाव
8. अपर्याप्त नगर स्तरीय नागरिक समितियाँ

एन.आर.सी.पी. की चुनौतियों का सामना करने केबाद, माचर 2001 में भारत के तत्कालीन परधान मं तरी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय नदी सं रक्षण पराधिकरण की बैठक में नदी सफाई कायर्क्रमों केलिए एक बेहतर और एकीकृ त दृष्टिकोण को अपनाने का निणरय लिया गया।

## राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

**(एन.जी.आर.बी.ए.)**

2008 में, गंगा नदी को पीएम मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा कार्य योजना के पहले से स्थापित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उसी वर्ष नवंबर में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसके लिए प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन के लिए 2011 में विश्व बैंक से एक अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में यह पहली पहल थी जिसे बेसिन स्तर पर डिजाइन किया गया था। नागरिक समाज को नए दृष्टिकोण में शामिल करके, आम नागरिकों को नदी के बारे में स्थानीय ज्ञान को एकत्र करने, योजना तथा अनुकूल प्रबंधन प्रक्रिया में अवसरों पर काम करने हेतु एक जगह दी गई थी। योजना बेसिन स्तर की थी, जिसमें जनभागीदारी शामिल थी।

2009 में, केंद्र सरकार ने गंगा नदी से संबंधित नियोजन, वित्तपोषण, निगरानी और समन्वय प्राधिकरण को सशक्त बनाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' स्थापित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार एन.जी.आर.बी.ए. का गठन फरवरी 2009 में व्यापक रूप से गंगा के संरक्षण के लिए विशेष रूप से कार्य करने के लिए किया गया था।[5]

प्राधिकरण का लक्ष्य योजना इकाई के रूप में नदी बेसिन के साथ व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रभावी प्रदूषण उन्मूलन और गंगा नदी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण की जिम्मेदारियों में गंगा में प्रदूषण कम करने के कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी उपाय शामिल हैं जो दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं। राल एसिड, और तरल निलंबित ठोस के व्युत्पन्न।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने अपने नेतृत्व में गंगा नदी को फिर से जीवंत करने का संकल्प लिया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय बनाने हेतु जल संसाधन मंत्रालय (MoWR) का राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के साथ विलय कर दिया।

कई मंत्रालयों और गंगा सफाई मिशन के सदस्यों के समझौते से, एन.एम.सी.जी. नामक एक नया मंच विकसित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2015 में पहले पांच वर्षों में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट को मंजूरी दी।

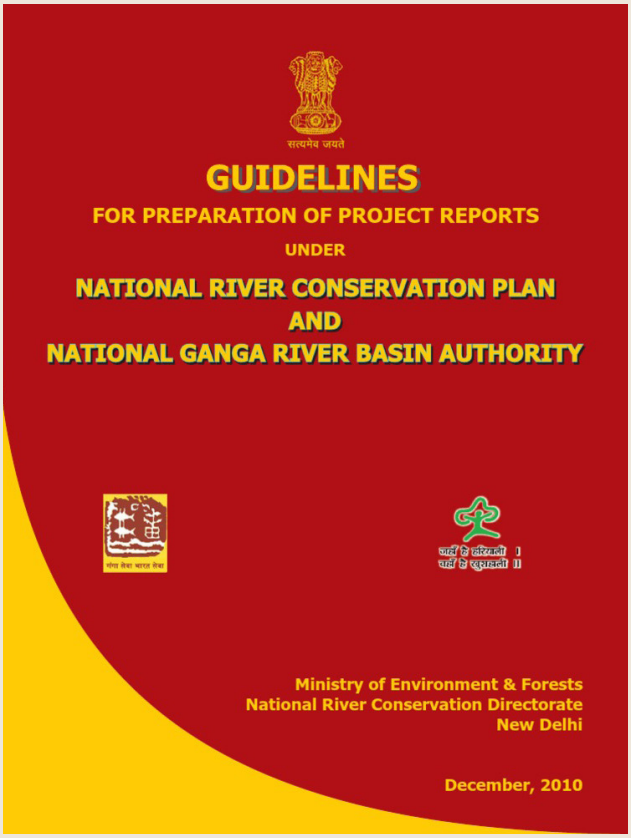


*ऊपर की छवि - राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश*

**इस बेसिन-आधारित दृष्टिकोण में नया क्या था?**

अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण

एन.आर.सी.डी. की अभिनव पहल जैसे सावरजनिक परामशर, राज्य और यू.एल.बी. केसाथ एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर आदि।

विभिन्न कायर्क्रमों केसाथ एकीकरण

शहर-स्तरीय स्वच्छता योजना केअनुरूप सी.पी.सी.बी. दवारा परदूषित हिस्सों की पहचान

सामाजिक-पारिस्थितिकी परणालियों की बदलती गतिशीलता को संबोधित करने केलिए ज्ञान केनए और पारंपरिक दोनों रूपों को समायोजित करना।

हितधारकों की भागीदारी बढ़ाना।

भारत में स्थानीय स्वशासन का यूराल मॉडल (गंगा गराम)

# स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.सी.जी)

स्वच्छ गंगा केलिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) एनएमसीजी को 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 केतहत एक सोसायटी केरूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन पराधिकरण (एनजीआरबीए) की कायारन्वयन शाखा केरूप में कायर किया जैसा कि लोक सभा के 16 जुलाई 2014 केअतारांकित परश्न संख्या 786 केउत्तर में बताया गया था। सोसायटी केउद्देश्य और लक्ष्य एन.जी.आर.बी.ए. के कायर कायर्क्रम को लागू करना और एन.जी.आर.बी.ए. के अदिदेश को पूरा करने में पयारवरण और वन मंतरालय (एम.ओ.ई.एफ.) की सहायता करना था। कायाकल्प, संरक्षण और संसाधनों के परबंधन केलिए राष्ट्रीय परिषद।

**मुख्य उद्देश्य**

-गंगा नदी परणाली की सभी निदयों और सहायक निदयों में पयारवरणीय परवाह को बनाए रखना।
- नदी के पारिस्थतिक, भूवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों को पूरा करना।
- पानी की गुणवत्ता बनाए रखना।
- पानी और अन्य जलीय संसाधनों का विवेकपूणर उपयोग। - सतत विकास को सक्षम करने के लिए।
- सभी मानवजनित गतिविधियों की पारदर्शी तरीके से जांच करना।

### क्या है जो संपूण दृष्टिकोण को समग्र बनाता है?

राष्ट्रीय नदी गंगा को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए, उसके आवश्यक चरित्र को समग्र रूप से समझने की आवश्यकता है। व्यापक शोध और परामर्श के बाद, "राष्ट्रीय नदी गंगा का स्वस्थता", राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और पुनर्जीवित करने के लिए, मूल चरित्र की गहन समझ पर विचार किया गया था। पर्याप्त शोध और परामर्श के बाद "राष्ट्रीय नदी गंगा का स्वस्थता" का निर्धारण किया गया था।

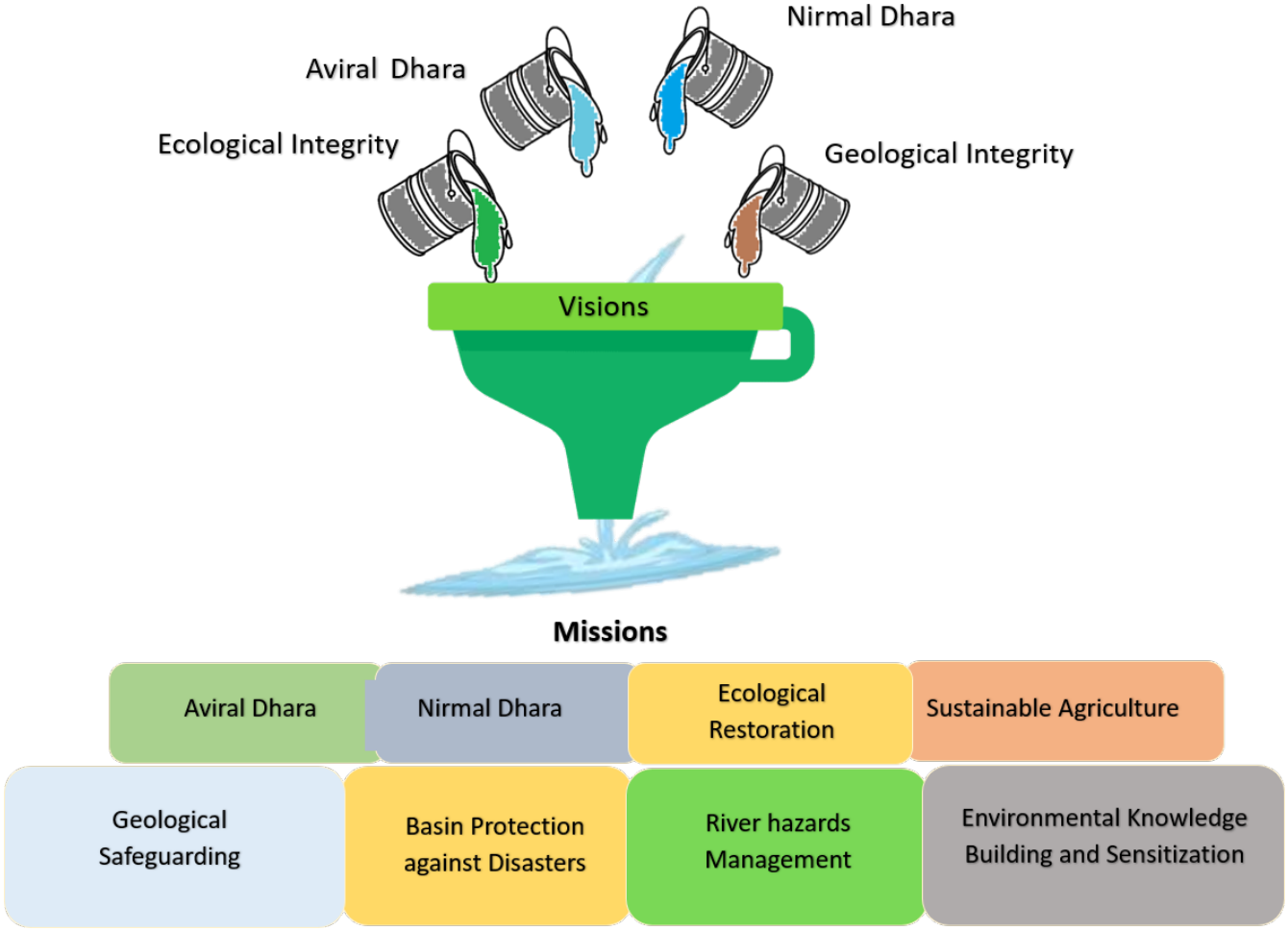


*उपरोक्त छवि - नमामि गंगा कार्यक्रम के मिशन*

# नमामि गंगे कार्यक्रम

सरकार ने "नमामि गंगे" एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन / कार्यक्रम को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत एक समग्र कार्यक्रम के रूप में विकसित किया है, जिसका उद्देश्य बेसिन दृष्टिकोण के लाभों से प्रेरित अतीत और चल रहे कार्यों को मिलाना है।

नमामि गंगे कार्यक्रम को मंत्रीमंडल ने एक समग्र पहल के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक समग्र पद्धति के रूप में मंजूरी दी थी। इस परियोजना को शुरू में चार साल के अनुमानित खर्च के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया। इसमें गंगा को साफ करने के लिए चल रही और भविष्य की पहलों के लिए अलग से नकद राशि शामिल है।

नमामि गंगे के अंतर्गत हाल के प्रयासों सहित पिछले 30 वर्षों में गंगा को साफ करने के अधिकांश प्रयासों में नदी के किनारे प्रमुख महानगरीय केंद्रों में सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, इस कार्यक्रम के तहत अन्य नीतिगत हस्तक्षेप भी किए गए थे। नदी के प्रवाह को बहाल करने के प्रयासों में, नदी के प्रदूषक संवहन तथा कमजोर पड़ने की क्षमता में सुधार करना महत्वपूर्ण है और अधिक अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के उपाय आवश्यक हैं।

परिणामस्वरूप, जून 2014 से,
(ए) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प, (बी) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, (सी) शहरी विकास, (डी) पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के प्रमुख मंत्रालय , (ई) ग्रामीण विकास, (एफ) पर्यटन, और (जी) जहाजरानी ने मिलकर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की। विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिवों (जीओएस) का एक समूह नियमित आधार पर एक मसौदा कार्य योजना विकसित करने, प्रगति की समीक्षा करने और रणनीति तैयार करने के लिए मिलता था।

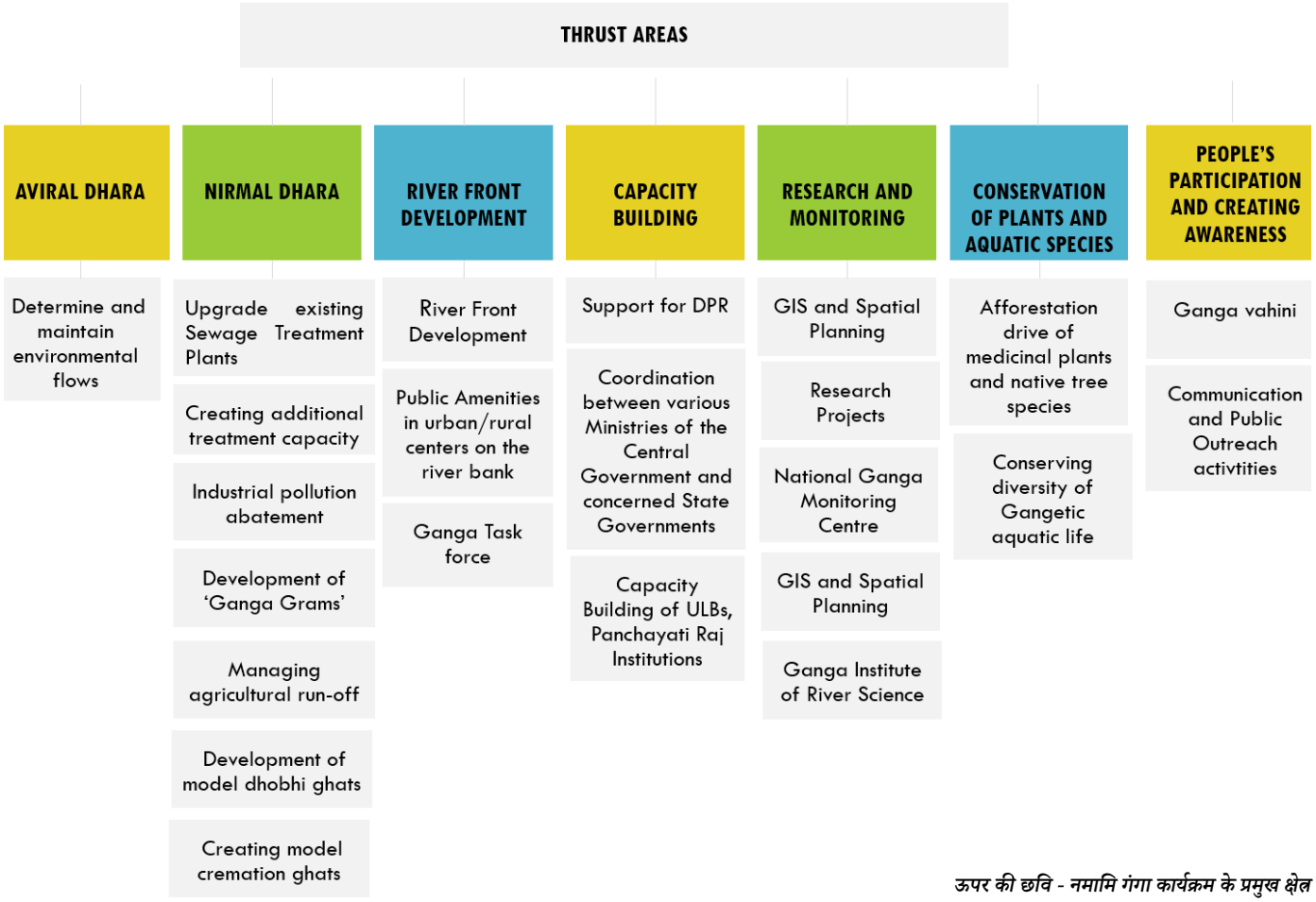


*ऊपर की छवि - नमामि गंगा कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र*

## नमामि गंगे मिशन केतहत परियोजनाओं में लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीघरकालिक गतिविधियां शामिल हैं

**Entry level activities**

- River surface cleaning
- Rural sanitation
- Modernization, renovation of Ghats and Crematoria

**Medium term activities**

- Municipal sewage management
- Industrial effluent management
- Water quality monitoring

**Activities Conducted**

**Long term activity**

- Adequate water flow

**Other activities**

- Biodiversity conservation
- Afforestation
- MoU with Ministries
- Ganga Gram

*ऊपर की छवि - नमामि गंगे मिशन के तहत परियोजनाओं में अल्पकालिक, मध्य अवधि और दीर्घकालिक गतिविधियां शामिल हैं।*

**चिन्हित की गई प्राथमिकता वाली प्रजातियों की बहाली के लिए गंगा के किनारे 8 जैव विविधता केंद्र ।**

ऋषिकेश - महीर फिश

देहरादून- ज्ञान केंद्र

नरौरा- डॉल्फ़िन/घड़ियाल/कछुआ

इलाहाबाद - डॉल्फिन/मछली कछुआ

वाराणसी - कछुए / डॉलिफ़न

भागलपुर - डॉल्फिन / ऊद / कछुआ

साहिबगंज - डॉल्फिन / ऊद / कछुआ

बैरकपुर - भारतीय मेजर कार्प्स

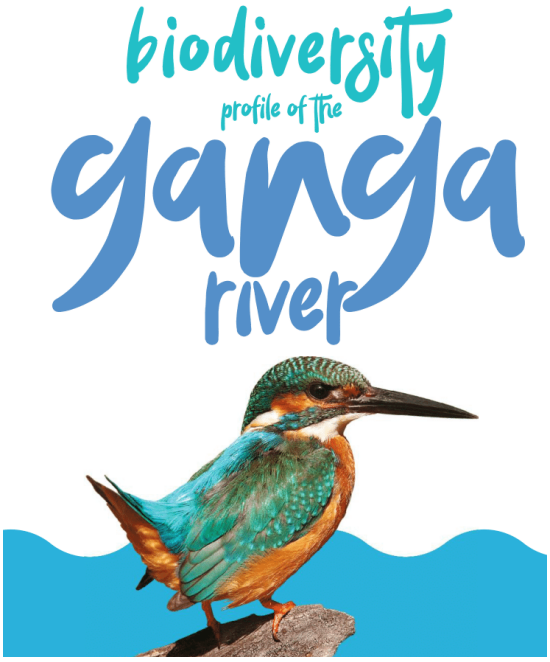


*ऊपर की छवि - जॉनसन, जयराज और हुसैन, सैयद ऐनुल और बडोला, रुचि। (2019) गंगा नदी की जैव विविधता परोफाइल*

**विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन किया गया**

पर्यावरण साक्षरता और समर्थन

ग्राम पंचायतों के लिए पर्यावरण साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ।

352 स्थानों पर पर्यावरण साक्षरता केंद्र।

'गंगा राही पुकार' पुस्तक का वितरण।

गंगा के किनारे संस्थाओं को हरित गंगा संस्था के रूप में जोड़ना।

पंजाब, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में सही फसल अभियान आयोजित किया गया।

वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल एकत्र करो अभियान।

*ऊपर की छवि - राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) अभियान*
*स्रोत- http://nwm.gov.in/?q=catchtherainस*

## अब तक की प्रगति

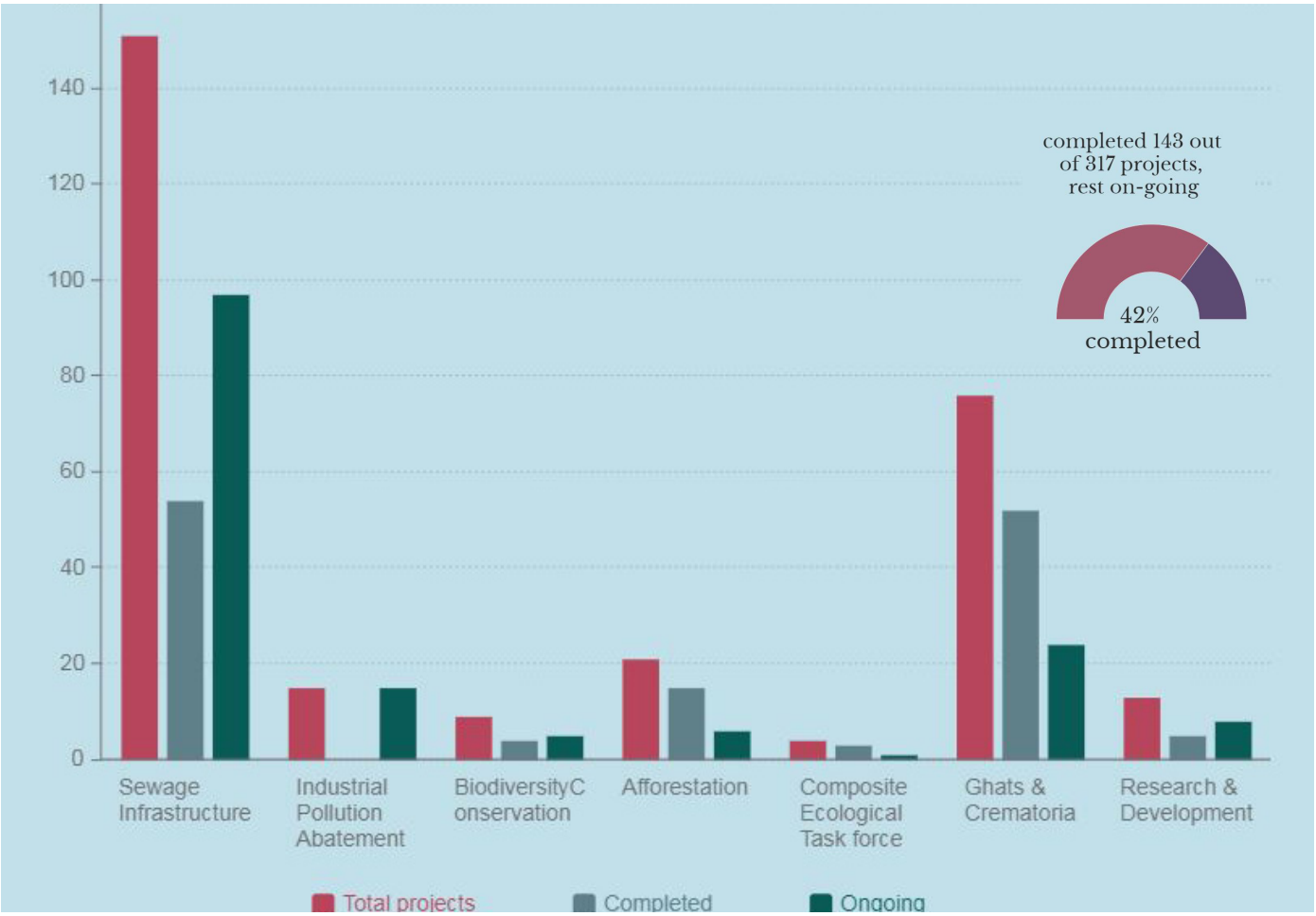


*ऊपर की छवि -*
*विभिन्न परियोजनाओं में अब तक की परगति*

| Sector | Total Projects | Sanction Cost (Cr.) | Completed | Ongoing |
|---|---|---|---|---|
| Sewage Infrastructure | 151 | 23,218.02 | 54 | 97 |
| Modular STPs Decentralized Treatment | 1 | 410.00 | 0 | 1 |
| River Surface Cleaning | 1 | 33.53 | 0 | 1 |
| Industrial Pollution Abatement | 15 | 1,267.37 | 0 | 15 |
| Rural Sanitation | 1 | 1,421.26 | 0 | 1 |
| Biodiversity Conservation | 9 | 164.05 | 4 | 5 |
| Afforestation | 21 | 306.31 | 15 | 6 |
| Bioremediation | 13 | 242.23 | 0 | 13 |
| Ganga knowledge Center | 6 | 143.95 | 1 | 5 |
| Ganga Monitoring Center | 1 | 46.69 | 0 | 1 |
| Research and Development | 13 | 165.39 | 5 | 8 |
| Ghats & Crematoria | 76 | 1089.31 | 52 | 24 |
| River Front Development | 1 | 336.73 | 0 | 1 |
| Ghats Cleaning | 3 | 45.54 | 0 | 3 |
| District Ganga Committee | 1 | 2.30 | 0 | 1 |
| Composite Ecological Task Force | 4 | 198.50 | 3 | 1 |
| | | | | |
| Grand Total | **317** | **29,091.18** | **134** | **183** |

*ऊपर की छवि - तालिका 2: 30.09.2020 तक नमामि गंगे परियोजना आँकड़े*

*स्रोत - https://nmcg.nic.in/Newsletter/sept2020/index.html*

# शहरी नदी प्रबंधन योजना (यू.आर.एम.पी.)

## एक शहर में नदी और उससे जुड़े तत्वों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने केलिए एक एकीकृत दृष्टिकोण

## "एक अनूठा ढांचा, अपनी तरह का पहला, नदी केंद्रित शहरी प्रबंधन का प्रयास करता हुआ"

### यू.आर.एम.पी. क्या है?

यह एक ऐसी योजना है जो नदी प्रबंधन केविविध और बहुमुखी पहलुओं का समग्र और व्यवस्थित तरीकेसे निपटारा करती है।
यू.आर.एम.पी. की अवधारणा को 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) केएक परिसंघ द्वारा पेश किया गया था, जिन्हें गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना विकसित करने का काम सौंपा गया था। योजना के अनुसार, गंगा की मुख्य धारा के साथ सभी 97 श्रेणी 1 केशहरों से अपने स्वयंकेयू.आर.एम.पी. विकसित करने की उम्मीद है।
इन कस्बों का समर्थन करने केलिए, इस परियोजना ने यू.आर.एम.पी. केलिए एक सामान्य ढांचा विकसित किया है। ढांचा काफी अनूठा है क्योंकि यह सामान्य है, फिर भी यह उन पहलुओं को पकड़ता है जो प्रत्येक शहर केलिए विशिष्ट हैं। यह इस अर्थ में अग्रणी कार्य है कि यह पहली बार है कि इस तरह की रूपरेखा (निर्णय समथरन परणाली केसमकक्ष) को एक बेसिन केभीतर शहरी क्षेतरों केपरबंधन केलिए विकसित किया गया है।

### ढांचे का दशरन

विकास के तीन स्तंभों-अर्थशास्त्र, सामाजिक और पर्यावरण पर आधारित है। इसलिए, यह परिकल्पना की गई है कि यू.आर.एम.पी. के तहत किए गए हस्तक्षेप होंगे:

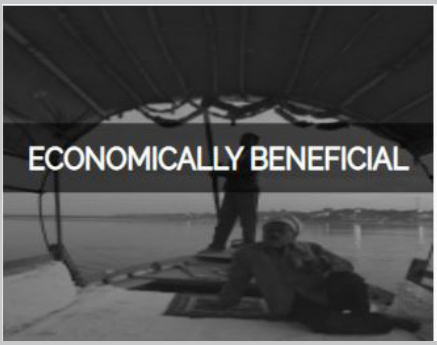


### ढांचे की संरचना

यह यू.आर.एम.पी. ढांचा, इसके सामान्य भाग के साथ तत्वों, दृष्टि, उद्देश्यों और एमएंडई तंत्र सहित सभी गंगा कस्बों के लिए आम है, और इसका शहर-विशिष्ट हिस्सा, जिसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शामिल हैं, सभी नदी कस्बों में लागू हैं। इन शहरों के पास सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने स्थानीय संदर्भ के अनुरूप उपयुक्त हस्तक्षेप चुनने की छूट है।

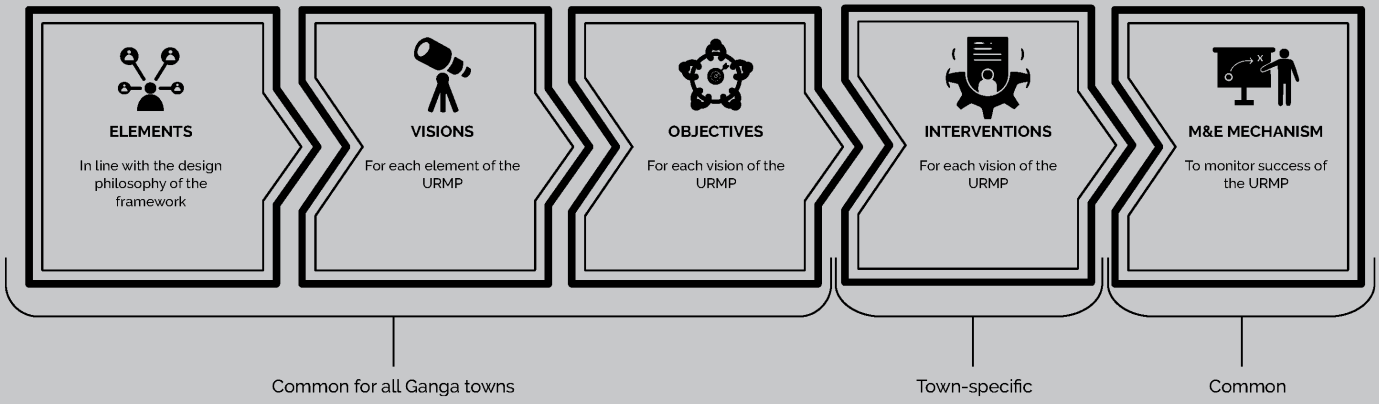

## तथ्य

### 2014

अक्टूबर 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा के किनारे सभी प्रदूषणकारी उद्योगों को सभी पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) को ऐसे मानदंडों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी करने का अधिकार दिया।

### 2016

गंगा में स्वच्छ जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 7 जुलाई 2016 को, भारत सरकार ने सभी पांच राज्यों में 100 स्थानों पर एनएमसीजी के तहत 231 परियोजनाएं शुरू कीं, जहां से गंगा बहती है।

20 मार्च 2016 को, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि गंगा को एक जीवित मानव इकाई के रूप में माना जाना चाहिए।

1 फरवरी 2016 को, एनजीटी ने गौमुख से हरिद्वार तक गंगा के पहले खंड में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

## ग्रंथ सूची


1. गंगा कार्य योजना: जल संसाधन प्रबंधन और सतता खंड 6, अंक 2 अप्रैल 2018 | आईएसएसएन: 2320-2882

2. रिपोर्ट-ऑफ-जाजमऊ-एरिया-वाटर-पार्टनरशिप.पीडीएफ (cwp-india.org)

3. दास, पी., और तमिंगा, के.आर. (2012)। गंगा और गैप: एक पवित्र नदी को साफ करने के प्रयासों का आकलन। सस्टेनेबिलिटी, 4(8), 1647-1668.

4. योजना, जी.ए. एसडब्ल्यूओटी गंगा कार्य योजना का विश्लेषण।

5. एएचईसी दिशानिर्देश (nrcd.nic.in)

6. MoEF, G. (2018) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। पीपीटी सामाजिक और पर्यावरण देखभाल केंद्र (moef.gov.in)

7. वू, एक्स., वासन, आर.जे., और पूचारोएन, ओ.ओ. (Eds) (2017). गंगा कायाकल्प: शासन चुनौतियां और नीति विकल्प। विश्व वैज्ञानिक।

8.https://pib.gov.in/PressReleasePage। aspx?PRID=1683785

9. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (jagranjosh.com)

10. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचा (ईएसएमएफ)। ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा तैयार (जनवरी 2011) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) (nmcg.nic.in)

11. आर सी त्रिवेदी (2010) गंगा नदी की जल गुणवत्ता - एक सिंहावलोकन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य और प्रबंधन, 12. 56_वार्षिक रिपोर्ट18-19.pdf (nmcg.nic.in)

13. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2001-2002

14. किम, सोरा और जी, यिंगरू। (2018)। अंतर विश्लेषण। 1-6. 10.1002/9781119010722.iesc0079।

> जब भी पानी पिएं तो याद रखें,
> वसंत को याद करें।

चीनी कहावत

त्रिवेणी संगम, प्रयागराजी

Shri Shambhu Panchdashnaam
Mukhya Kendra - House Number. D 17/122, Dashaswamedh Ghat, Shri Shetra Kashi Varanasi- (U.P.)

गंगा घाट, वाराणसी

*गंगा घाट, वाराणसी*